

राजस्थान –सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/वी-41/19/ दिनांक:-

आदेश

श्री वीरमाराम, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर का पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग (कक्षाएँ) में सम्मलित होने के कारण दिनांक 26.08.2018 से दिनांक 11.09.2018 तक (17) दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/वी-41/19/514

दिनांक:-28-05-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।